



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082022-237809
CG-DL-E-02082022-237809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3417]
No. 3417]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2022

का.आ. 3582(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH16 के किमी 355 किमी. से 414 किमी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH16 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एँल्एओ अंड सीए	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH16 के	उड़ीसा	नयागढ़	रनपुर	1 श्रीकुरुष्णपुर
						2 उपेन्द्रपुर

		कि.मी. 355 से 414 तक				3	बेन्ट
						4	कटकशहर
						5	चम्पागढ़ा

[फा. सं. S.O.1339(E)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2022

S. O. 3582(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 355 to Km. 414 of the NH16 for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ODISHA

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH16 in the State of ODISHA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village										
1	2	3	4	5	6	7										
1	LAO and CA	355KM To 414KM	ODISHA	NAYAGARH	Ranpur	<table><tr><td>1</td><td>Srikrushnapur</td></tr><tr><td>2</td><td>Upendrapur</td></tr><tr><td>3</td><td>Benta</td></tr><tr><td>4</td><td>Kataksahar</td></tr><tr><td>5</td><td>Champagada</td></tr></table>	1	Srikrushnapur	2	Upendrapur	3	Benta	4	Kataksahar	5	Champagada
1	Srikrushnapur															
2	Upendrapur															
3	Benta															
4	Kataksahar															
5	Champagada															

[F. No. S.O.1339(E)]

RAJESH GUPTA, Director